

॥ कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर ॥

क्रमांक:-न-5(02)पु.फो./कानि.भर्ती/सू.अ./2021/२२६५ दिनांक २६/०५/२०२३

संशोधित स्थाई आदेश संख्या-०३/२०२३

कांस्टेबल भर्ती २०२१ हेतु जारी स्थाई आदेश संख्या-२९/२०२१ के बिन्दु संख्या ११ के अंतिम पैरा में यह अंकित है "This Combined merit list shall automatically lapse when the next recruitment is advertised, or after 6 months, whichever is earlier."

In Continuation of the said provision, the Validity of the Combined merit list is extended by 03 more months or the next recruitment whichever is earlier.

3
(उमेश मिश्रा)
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. महानिदेशक, गृहरक्षा/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/ कारागार/ कानून एवं व्यवस्था, राजस्थान।
2. समस्त महानिदेशक/अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
3. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
4. समस्त महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
5. समस्त पुलिस अतिरिक्त आयुक्त/उपायुक्त जयपुर/जोधपुर।
6. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय जीआरपी अजमेर/जोधपुर/आसूचना, जयपुर एवं प्रशासन एवं अन्वेषण सीआईडी सीबी, पुलिस दूरसंचार राजस्थान जयपुर।
7. समस्त कमाण्डेन्ट, आरएसी मय आईआर/एमबीसी/हाडीरानी महिला बटालियन।

3
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान जयपुर।